प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संस्थान के ट्रामा सेन्टर के लिए मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/एमएम0/बजट(2018-19)/ए0टी0सी0/2018/272, दिनांक 05-7-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संस्थान के ट्रामा सेन्टर के लिए मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों के लिये ई-प्रोक्योरमेन्ट, ई-मार्केट के माध्यम से चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय हेतु मानकीकृत तकनीकी विशिष्टिताओं के निर्धारण विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4090/71-2-2017-जी-307/2017, दिनांक 28-12-2017, शासनादेश संख्या-753/71-2-2018-जी-307/2017, दिनांक 06-3-2018 एवं शासनादेश संख्या-208/71-2-2018-जी-243/2017, दिनांक 18-1-2018 द्वारा उपकरण की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 तक वैधता प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संस्थान के ट्रामा सेन्टर हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि (उक्त शासनादेशों में उल्लिखित उपकरणों के अतिरिक्त) उपकरणों की सूची (प्रति संलग्न) अनुमोदित करते हुए रू0 25,00,00,000/- (रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
6) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
7) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियाँ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
8) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9) उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017, शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त 2017 तथा शासनादेश संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29 अगस्त 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना आवदेक निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
11) संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

13) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-16-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संसथान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 112/2018/2084(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- संख्या-112/2018/2084/71-2-18-पी-30/2016 टी0सी0, दिनांक 31 जुलाई, 2018 का संलग्नक।

LIST OF EQUIPMENTS TO BE PURCHASED IN F.Y. 2018-19 FOR TRAUMA CENTRE

	S.NO	NAME OF DIVISION/EQUIPMENT	QTY
ANAESTHESIOLOGY			
	1	FIBEROPTIC INTUBATING BRONCHOSCOPE WITH MONITOR, CAMERA AND LIGHT SOURCE (ADULT AND PEDIATRIC)	01 each
	2	RIGID BRONCHOSCOPY SYSTEM WITH ACCESSORIES	01 set
OPERATION THEATRE			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	3	STERNUM SAW HAND PIECE	1
OPERATIVE EQUIPMENTS			
	4	RADIOLUCENT 3 PIN HEAD FRAME AND COMPATIBLE BRAIN RETRACTOR SYSTEM	
	5	PEADIATRIC ORTHOPAEDIC INSTRUMENTS	01set
	6	4.5/4.0 MM CANNULATED SCREWS INSTRUMENTS SET	01 SET
	7	LCP SMALL SET	01 SET
	8	LCP LARGE SET	01 SET
	9	BROKEN SCREW/NAIL REMOVAL SET	01 SET
	10	LOW PROFILE 3.5 BASIC PELVIC SET IN GRAPHIC CASE	01 SET
	11	LOW PROFILE 3.5 PELVIC REDUCTION INSTRUMENT SET IN GRAPHIC CASE	01 SET
	12	BURR SET	01 SET
	13	INTERLOCKING NAILING SET FOR LONG BONES	01set
	14	BONE FORCEPS SET	01set
	15	WIRING INSTRUMENT SET	01set
	16	AUTOMATIC TOURNIQUET SYSTEM	01set
	17	DERMATOMES	01set
	18	MICRODRILL FOR SMALL BONES/MICRO MOTOR DRILL SYSTEM	01set
	19	MIDAX REX EXTRACTION EQUIPMENT	01set
	20	KT ARTHROMETER	01set
	21	ORTHOPEDIC BATTERY DRILL SETS	01 Sets
	22	ARTHROSCOPY SET	01Set
	23	UROLOGY INSTRUMENTS	1 Sets
	24	ULTRASONIC DIATHERMY DEVICE (FOR eg. HARMONIC SCALPEL)	2
RADIOLOGY EQUIPMENT			
	25	ULTRASOUND WITH COLOUR DOPPLER	1
	26	800 MA X-RAY RADIOGRAPHY & CR SYSTEM	1
ICU & WARD EQUIPMENTS			
	27	INTRAAORTIC BALLOON PUMP (HIGH END)	1
	28	EXTERNAL PACEMAKER, DUAL CHAMBER	10
	29	HAND HELD PULSE OXIMETER	10

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	30	ONLINE WATER TREATMENT UNIT (PORTABLE RO)	1
OPTHALMOLOGY			
	31	SLIT LAMP	1
	32	INDIRECT OPTHALMOSCOPE WITH LENS	1
	33	A SCAN BIOMETER	1
	34	AUTO REFRACTOMETER	1
	35	SURGICAL OPHTHALMIC MICROSCOPE	1
	36	VISUAL ACUITY FLAT PANEL CHART	1
	37	VISUAL EXAMINATION UNIT	1
	38	REFRACTION BOX	1
	39	RETINOSCOPE	1
	40	HAND HELD SLIT LAMP	1
	41	HAND HELD TONOMETER	1
	42	B SCAN ULTRASOUND	1
	43	NON CONTACT TONOMETER	1
REHABILITATION EQUIPMENTS			
	44	ADVANCE ROBOTIC REHABLITATION SYSTEM	1
	45	BALANCE ANALYSIS SYSTEM	1
	46	CERVICAL TRACTION & LUMBAR TRACTION WITH BED	1
	47	Other PHYSIOTHERAPY EQUIPMENTS	01 SET
LABORATORY EQUIPMENTS			
	48	ELECTRONIC BALANCE	4
	49	MISC. LAB ITEMS	
MISCELLANEOUS EQUIPMENT/FURNITURE ETC. NEEDED FOR BED ACTIVATION			
TRANSFUSION MEDICINE			
	50	LAB REAGENT REFRIGERATOR	1
	51	BLOOD COLLECTION MIXER AND SCALE WITH SEALER	1
	52	DONOR HB MACHINE	1
	53	CHEMILUMINISCENCE SYSTEMS FOR TTI TESTING	1
HOSPITAL SERVICES			
	54	HIS	
	55	MISC. EQUIPMENTS/ITEMS FOR HOSPITAL SERVICES LIKE MEDICAL GAS CYLINDERS, MEDICAL AIR COMPRESSOR, AIR DRYER & VACUUM PUMPS, ETC AND OTHER EQUIPMENTS OF EMERGENCY NATURE , NEEDED FOR ACTIVATION OF TRAUMA CENTRE	
	56	**MISC. EXPENSES LIKE CUSTOM ,FREIGHT INSURANCE ETC.**	
	57	HOSPITAL OFFICE/LAB /WARD FURNITURES	AS PER NEED
	58	OTHER FURNITURE	
	59	OFFICE AND WARD AUTOMATION, COMPUTERS PRINTERS, PHOTOCOPIERS,CCTV	
	60	OFFICE EQUIPMENTS, FRIDGES, LEDTV,PROJECTORS, SCREEN	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।